प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.10.2025

थाना अंकुर विहार व थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 02 शातिर लुटेरे/स्नैचर अपराधी गिरफ्तार।

आज दिनांक 06/10/2025 को थाना अंकुर विहार व थाना ट्रोनिका सिटी की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रुप से अपराध की रोकथाम हेतु रामलीला ग्राउण्ड के पास गढी कट्टैया कट खन्नानगर में चेकिंग की जा रही थी तभी एक स्पलेन्डर मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति सवार होकर गढी कट्टैया की तरफ दादी भोई मैरिज होम की तरफ आते हुये दिखाई दिये जिन्हे रुकने का इशारा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया तो उनके द्वारा मोटरसाईकिल स्पलेन्डर न रोक कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए मोटरसाईकिल मोड कर भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में मोटरसाईकिल पर सवार दोनो व्यक्ति के पैर में गोली लगी जिन्हे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम 1.मंगल पुत्र कालूराम नि0 खोक्सा थाना झिझाना जनपद शामली 2.मोहन पुत्र गोपाल नि0 खानपुर झिझाना जनपद शामली बताया। पुलिस मुठभेड में घायल दोनो अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से स्नैचिंग की गयी घटनाओं के 54,500/- रुपये व घटना में प्रयुक्त स्पलेन्डर मोटरसाईकिल बरामद की गयी। (अभियुक्तगण से स्नैचिंग की घटनाओं में बरामद 54,500/- रुपये के सम्बन्ध में 1.थाना अंकुर विहार पर अभियोग अन्तर्गत धारा 304(2) बीएनएस 2.थाना लोनी बॉर्डर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 304(2) बीएनएस 3.थाना मोदीनगर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 304(2) बीएनएस 4.थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग अन्तर्गत धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है।) अभि0गण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम व पता

1. मंगल पुत्र कालूराम नि0 खोक्सा थाना झिझाना जनपद शामली (पुलिस मुठभेड़ में घायल)
2. मोहन पुत्र गोपाल नि0 खानपुर झिझाना जनपद शामली (पुलिस मुठभेड़ में घायल)

बरामदगी का विवरण-

02 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद ।

अपराधिक इतिहास –

घायल अभियुक्तगण पर लूट/स्नैचिंग के करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है । अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना अंकुर विहार व थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस

थाना लिंकरोड व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 02 खोखा कारतूस, चोरी की 02 कार, कार चोरी करने के उपकरण, 04 गाड़ियों की चाबियां व थाना लिंकरोड से चोरी गई ALTO 800 से संबन्धित कागजात तथा 02 नंबर प्लेट व फर्जी नंबर प्लेट बरामद।

दिनांक 05.10.2025 को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि करीब दस दिन पहले थाना लिंक रोड क्षेत्र से अल्टो 800 गाडी को चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय दो कार चोर औधोगिक क्षेत्र साईट 04 की तरफ से चोरी की दो गाडियों को लेकर सुरक्षित स्थान पर पार्क करने के लिए अपने साथियो के साथ आने वाले हैं तथा उनके पास अवैध असलाह भी है। इस सूचना पर यकीन कर पुलिस वाले सूर्य नगर रेलवे पुल के पास बैरियर लगाकर सघनता से चैकिंग करने लगे तभी कुछ देर बाद दो गाडी एक साथ आती हुयी दिखाई दी तभी दोनों गाडिया को रोकने का इशारा किया गया तो नही रुके तथा दोनों गाडिया बैरियरों में टक्कर मारते हुए तेज गति से चौकी सूर्यनगर की ओर भागने लगे पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया तो पीछे वाली गाडी में मौजूद कार चालक द्वारा पुलिस वालो को निशाना बनाते हुये फायर किया गया इसी क्रम में पीछा करते हुए राधा कुन्ज के पीछे रेलवे ग्राउंड कडकड माडल में जाकर पीछे वाली गाडी के चालक ने अपनी गाडी से उतरकर असलाह से पुलिस वालों की तरफ जान से मारने की नीयत से पुनः फायर किया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में बदमाश अनिल कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम जवाँ सिकन्दरपुर थाना जवाँ जिला अलीगढ उम्र करीब 36 वर्ष पैर में गोली लग गई। जिससे बदमाश घायल हो गया। दोनों बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश को उपचार हेतु तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनों का एक अन्य साथी अनिल भूषण जो कि फरीदाबाद का रहना वाला है तथा बलजीत सिंह उर्फ बोबी जो विकासपुरी दिल्ली में रहता है। हम सब मिलकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चार पहिया वाहन चुराते है। हम चोरी करने के बाद इन चोरी की गई गाडियों पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर तथा इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर टैम्पर्ड करते है तथा चोरी की गाडियों को हमारा साथी बलजीत सिंह उर्फ बोबी बेच देता है तथा कुछ गाडियो को हम कटवा देते है। इसीक्रम में अभियुक्त अनिल उर्फ महाराज पुत्र रामपाल उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि हम दोनों के पास से जो दोनों गाड़ियां मिली है। इनमे से सफेद रंग की स्विफ्ट गाडी जिसे मेरा साथी अनिल कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह उपरोक्त चला रहा था। यह गाडी हम लोगो ने दिल्ली से करीब 12 दिन पहले चोरी की थी और दूसरी गाडी लाल रंग की

ब्रेजा जिसको मै चला रहा था। यह गाडी हमने फरीदाबाद हरियाणा से करीब 08 दिन पहले चोरी की तथा करीब 10-11 दिन पहले एक अल्टो 800 गाडी रंग सफेद हमने रामपुरी सूर्यनगर क्षेत्र से चोरी की थी। जिसको हमने कटवा दिया। इस गाडी की नम्बर प्लेट हमने स्विफ्ट गाड़ी की डिग्गी में रखी है तथा 01 आई-10 हमने एक साथ मिलकर करीब 12 दिन पहले वंसत कुंज दिल्ली से चोरी की थी तथा एक गाडी स्विफ्ट हम तीनो ने जलेसर रोड फिरोजाबाद से चोरी की थी। जिसको हमने काले नाम के कबाडी को 45 हजार रुपये में अलीगढ बेच दिया था। जिससे प्राप्त पैसो को हम तीनो ने आपस मे बाँट लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. अनिल कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम जवाँ सिकन्दरपुर थाना जवाँ जिला अलीगढ उम्र करीब 36 वर्ष।

2. अनिल उर्फ महाराज पुत्र रामपाल निवासी मकान न0 104 किराडी गांव(प्रेमनगर) सुल्तानपुरी नियर शिव मन्दिर थाना अमन विहार नोर्थ वेस्ट दिल्ली उम्र करीब 39 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 02 खोखा कारतूस, चोरी की 02 कार, कार चोरी करने के उपकरण, 04 गाड़ियों की चाबियां व थाना लिंकरोड से चोरी गई ALTO 800 से संबन्धित कागजात तथा 02 नंबर प्लेट व फर्जी नंबर प्लेट बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

1. गिरफ्तार अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद, अलीगढ़, दिल्ली, हरियाणा में वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि से संबंधित 73 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

2. गिरफ्तार अभियुक्त अनिल उर्फ महाराज पुत्र रामपाल उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ आदि में वाहन चोरी व आर्म्स एक्ट से संबंधित 13 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना लिंकरोड व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 06.10.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर रिछपाल गढी की पुलिया के पास चेकिंग 01 अभियुक्त आकाश पुत्र छोटेलाल निवासी जे0जे0 कालोनी सैक्टर 11 थाना सैक्टर 24 जनपद गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम जरारे थाना खैर जनपद अलीगढ उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 चोरी की मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस बरामद हुई। अभियुक्त से बरामद चोरी की मोटर साइकिल के सम्बन्ध मे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 317(2)/315(5) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैंने अपने साथी नरेन्द्र कुमार माझी और आलोक के साथ मिलकर NCR क्षेत्र के कई मोटर साइकिल चोरी की थी, नरेन्द्र कुमार माझी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिससे चोरी 6 मोटर साइकिले बरामद हुई थी तथा मुझसे आज जो मोटर साइकिल बरामद हुई है व मैने करीब 1 साल पहले हरिद्वार उत्तराखण्ड से चोरी की थी।

नाम अभियुक्त का नाम व पता

आकाश पुत्र छोटेलाल निवासी जे0जे0 कालोनी सैक्टर 11 थाना सैक्टर 24 जनपद गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम जरारे थाना खैर जनपद अलीगढ उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 चोरी की मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस (हरिद्वार उत्तराखण्ड से चोरी)

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक चोरी/बरामदगी के सम्बन्ध मे 02 अभियोग पंजीकृत है तथा कोतवाली हरिद्वार मे चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी/विक्री करने वाली शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार,कब्जे से 04 किलो 34 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 06.10.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गांजा की तस्करी करने वाली शातिर गांजा तस्कर अभियुक्ता रागिनी पत्नी धर्मेन्द्र प्रताप नि0 श्रीराम कालोनी लालकुँआ थाना वेवसिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष को दिल्ली पुलिस कालोनी के पास निर्माणाधीन इमारत थाना क्षेत्र वेव सिटी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे से 04 किलो 34 ग्राम गांजा बरामद हुआ। उक्त बरादगी के आधार पर थाना वेव सिटी पर अभियुक्ता के विरूद्ध अन्तर्गत धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं काफी समय से बाहर से सस्ते दामों में गांजा खरीदकर चोरी छुपकर गाँजा की पुडिया बनाकर बिक्री करती हूँ। बाहर से सस्ते दामों में गांजा खरीदकर उनकी छोटी छोटी पुडिया बनाकर मँहगे दामो में बेंच देती, इससे मुझे काफी आर्थिक लाभ होता है। इससे मै अपनी जरूरतों को पूरा करती हूँ। आज गाँजा की बिक्री कर रही थी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

रागिनी पत्नी धर्मेन्द्र प्रताप नि0 श्रीराम कालोनी लालकुँआ थाना वेवसिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्ता के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना वेवसिटी पर एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्ता के विरूद्ध थाना वेवसिटी पर 01 अभियोग ,जनपद गौतमबुद्धनगर पर 01 व जनपद मिर्जापुर पर 01 अभियोग पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

4 किलो 34 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत छात्राओं के सहयोग से यातायात संचालन, यातायात जागरूकता कार्यक्रम एवं चालानी कार्यवाही

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस उपायुक्त- यातायात के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त- यातायात के नेतृत्व में कमिश्नरेट गाजियाबाद में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं को सशक्त बनाते हुए उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी निभाने हेतु प्रेरित करने तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता सुनिश्चित कराये जाने हेतु यातायात पुलिस द्वारा गाजियाबाद के प्रमुख चौराहों/तिराहों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुखतः बाल भारती स्कूल ब्रिज विहार गाजियाबाद एवं जे0के0जी0 इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 11वीं व 12वीं की छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनमानस विशेषकर वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना एवं सड़क सुरक्षा की भावना को जन-जन तक पहुँचाना था। छात्राओं द्वारा चौराहों/तिराहों पर यातायात पुलिस कर्मियों के साथ यातायात का संचालन किया गया एवं वाहन चालकों को निम्नलिखित बिंदुओं पर जागरूक किया गया:-

- दो-पहिया वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट का प्रयोग करें।
- दो-पहिया वाहन पर तीन सवारी न बैठाएं।

- चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें।
- मोबाइल फोन का वाहन चलाते समय प्रयोग न करें।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के द्वारा जागरूकता के साथ साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सम्बंधित यातायात निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक यातायात से माध्यम से कुल 432 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही भी करायी गयी। **उक्त कार्यक्रम में सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात प्रथम/द्वितीय एवं यातायात निरीक्षक प्रथम/तृतीय/चतुर्थ एवं षष्टम आदि उपस्थित रहे।** यह अभियान आगे भी अनवरत जारी रहेगा।

आमजन से अपील

यातायात पुलिस गाजियाबाद सभी नागरिकों से अपील करती है कि:-

- कृपया यातायात नियमों का पालन करें।
- स्वयं सुरक्षित रहें तथा दूसरों की सुरक्षा में भी योगदान दें।
- अपने बच्चों व परिवार को भी यातायात नियमों के पालन हेतु प्रेरित करें।
- यातायात पुलिस का सहयोग करें और मिशन शक्ति जैसे अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

सहायक पुलिस आयुक्त, शालीमार गार्डन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा सर्च रेस्क्यू अभियान के अन्तर्गत चैकिंग के दौरान अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त 08 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 07 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया, कब्जे से 08 मोबाइल फोन, अनैतिक देह व्यापार से सम्बन्धित 4,450/- रूपये नगद व आपत्तिजनक साम्रगी बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 06.10.2025 को सहायक पुलिस आयुक्त, शालीमार गार्डन को मुखबिर के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि होटल ओर्चिड इन ताहिरपुर कट रोड भगवान दास स्कूल के पास शालीमार गार्डन में देह व्यापार का अनैतिक कार्य किया जा रहा है । जिसमें महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है । सहायक पुलिस आयुक्त, शालीमार गार्डन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा सर्च रेस्क्यू अभियान के अन्तर्गत चैकिंग के दौरान होटल ओर्चिड इन ताहिरपुर कट रोड भगवान दास स्कूल के पास पर देह व्यापार कराये जाने में संलिप्त 08 अभियुक्त 1. इंतजार पुत्र यामीन निवासी सी 1-50 डीएलएफ शालीमार गाड़न कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष, 2. योगेन्द्र कश्यप पुत्र रामलाल कश्यप निवासी सूर्यनगर जिला मुरादाबाद उम्र करीब 33 वर्ष, 3. प्रीतम सिंह पुत्र बलजीत सिंह निवासी 1/6470 ईस्ट रोहतास नगर शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष, 4. भूपेन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह निवासी सी1/129 गली नं0 25 खजूरी खास दिल्ली उम्र करीब 42 वर्ष, 5. शिवम पुत्र लक्ष्मण निवासी इ 82 ए/182 सरद पुरी सेकेंड रोड मदन डेरी के पास न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष, 6. निखिल कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी सीमपुरी बी ब्लाक दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष, 7. अंकुश पुत्र मुकेश कुमार निवासी पप्पू कालौनी गली नं0 3 म0नं0 सी 524 थाना शालीमार गार्डन उम्र करीब 20 वर्ष व 8. अंकुश पुत्र रवि कुमार निवासी न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष को 08 मोबाइल फोन, अनैतिक देह व्यापार से सम्बन्धित 4,450/- रूपये नगद व

आपत्तिजनक साम्रगी गिरफ्तार किया गया तथा 07 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 3/4/5/6 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त दीपक (फरार) होटल ओर्चिड इन का मालिक है। जिसमें अभियुक्त योगेन्द्र व इंतजार द्वारा पीड़ित महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार में अच्छा लाभ कमाने का लालच देकर ग्राहकों को स्वयं सम्पर्क कर तथा उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर देह व्यापार कराया जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. इंतजार पुत्र यामीन निवासी सी 1-50 डीएलएफ शालीमार गाड़ेन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।
2. योगेन्द्र कश्यप पुत्र रामलाल कश्यप निवासी सूर्यनगर जिला मुरादाबाद उम्र करीब 33 वर्ष।
3. प्रीतम सिंह पुत्र बलजीत सिंह निवासी 1/6470 ईस्ट रोहतास नगर शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष। (ग्राहक)
4. भूपेन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह निवासी सी1/129 गली नं0 25 खजूरी खास दिल्ली उम्र करीब 42 वर्ष। (ग्राहक)
5. शिवम पुत्र लक्ष्मण निवासी इ 82 ए/182 सरद पुरी सेकेंड रोड मदन डेरी के पास न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष। (ग्राहक)
6. निखिल कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी सीमपुरी बी ब्लाक दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष। (ग्राहक)
7. अंकुश पुत्र मुकेश कुमार निवासी पप्पू कालौनी गली नं0 3 म0नं0 सी 524 थाना शालीमार गार्डन उम्र करीब 20 वर्ष। (ग्राहक)
8. अंकुश पुत्र रवि कुमार निवासी न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष। (ग्राहक)

बरामदगी का विवरणः-

- 08 मोबाइल फोन, अनैतिक देह व्यापार से सम्बन्धित 4,450/- रूपये नगद व आपत्तिजनक साम्रगी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना शालीमार गार्डन पर अनैतिक देह व्यापार का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

सहायक पुलिस आयुक्त, थाना शालीमार गार्डन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 18.09.25 को थाना खोड़ा पर वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त मनी मिराज उर्फ रमडी मिराज आलम पुत्र अख्तर मियाँ द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने, अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाने व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में धारा 328/376/377/313/323/506 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक क्रम में अभियुक्त के बिहार राज्य में होने की सूचना प्राप्त हुई जिसके क्रम में दिनांक 04.10.2025 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट, सर्विलांस की सहायता से दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त मनी मिराज उर्फ रमडी मिराज आलम पुत्र अख्तर मियाँ निवासी ग्राम रसूलपुर थाना साहिबगंज जिला मुजफ्फरपुर बिहार उम्र करीब 31 वर्ष को बिहार मोटर्स के पास अनीसाबाद थाना क्षेत्र गर्दनीबाग पटना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मनी मिराज उर्फ रमडी मिराज आलम पुत्र अख्तर मियाँ उपरोक्त को माननीय न्यायालय जनपद पटना बिहार में पेश कर ट्रांजिट रिमाण्ड स्वीकृत कराते हुए थाना खोड़ा लेकर आये। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को थाना खोड़ा पर पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त मनी मिराज उर्फ रमडी मिराज आलम पुत्र अख्तर मियाँ उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यूट्यूब व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वीडियो बनाने का काम करता हूँ, करीब 03 वर्ष पहले मेरी मुलाकात वादिया से सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। काफी दिन की बातचीत के दौरान हम एक-दूसरे को पसन्द करने लगे थे। मैं मूल रुप से बिहार का रहने वाला हूँ एवं काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता था और वादिया के घर पर आने-जाने लगा। हम दोनों में काफी नजदीकियाँ बढ़ गयी थी फिर हम दोनों में शादी करने की बात होने लगी इसी दौरान हमारे बीच कई बार शारीरिक सम्बन्ध भी बने थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मनी मिराज उर्फ रमडी मिराज आलम पुत्र अख्तर मियाँ निवासी ग्राम रसूलपुर थाना साहिबगंज जिला मुजफ्फरपुर बिहार उम्र करीब 31 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त मनी मिराज उर्फ रमडी मिराज उपरोक्त के विरूद्ध थाना खोडा पर दुष्कर्म के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारीकी जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 02 खोखा कारतूस, चोरी की 03 कार, कार चोरी करने के उपकरण, 04 गाड़ियों की चाबियां व थाना लिंकरोड से चोरी गई ALTO 800 से संबन्धित कागजात तथा 02 नंबर प्लेट व फर्जी नंबर प्लेट बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 05/06.10.2025 की रात्रि को थाना लिंकरोड़ व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा पुलिस चैकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले बदमाशों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में दो अभियुक्त 1. अनिल

कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम जवाँ सिकन्दरपुर थाना जवाँ जिला अलीगढ उम्र करीब 36 वर्ष (घायल अवस्था में) व 2. अनिल उर्फ महाराज पुत्र रामपाल निवासी मकान न0 104 किराडी गांब(प्रेमनगर) सुल्तानपुरी नियर शिव मन्दिर थाना अमन विहार नोर्थ वेस्ट दिल्ली उम्र करीब 39 वर्ष को 01 अवैध तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 02 खोखा कारतूस, चोरी की 02 कार, कार चोरी करने के उपकरण, 04 गाड़ियों की चाबियां व थाना लिंकरोड से चोरी गई ALTO 800 से संबन्धित कागजात तथा 02 नंबर प्लेट व फर्जी नंबर प्लेट सहित गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त अनिल पुत्र चन्द्रपाल सिंह को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया था तथा गिरफ्तार अभियुक्त अनिल उर्फ महाराज पुत्र रामपाल की निशानदेही पर अभियुक्त अनिल भूषण पुत्र मेहरचन्द नि0 ग्राम गोछी थाना मुजेसर फरीदाबाद हरियाणा को चोरी की आई-10 कार फर्जी नंबर प्लेट के साथ कौशाम्बी बस अड्डे के पीछे खाली पडे मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 303(2),317(5),345(3),109(1),317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनों का एक अन्य साथी अनिल भूषण जो कि फरीदाबाद का रहना वाला है तथा बलजीत सिंह उर्फ बोबी जो विकासपुरी दिल्ली में रहता है। हम सब मिलकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चार पहिया वाहन चुराते है। हम चोरी करने के बाद इन चोरी की गई गाडियों पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर तथा इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर टैम्पर्ड करते है तथा चोरी की गाडियों को हमारा साथी बलजीत सिंह उर्फ बोबी बेच देता है तथा कुछ गाडियो को हम कटवा देते है। इसीक्रम में अभियुक्त अनिल उर्फ महाराज पुत्र रामपाल उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि हम दोनों के पास से जो दोनों गाड़ियां मिली है। इनमे से सफेद रंग की स्विफ्ट गाडी जिसे मेरा साथी अनिल कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह उपरोक्त चला रहा था। यह गाडी हम लोगो ने दिल्ली से करीब 12 दिन पहले चोरी की थी और दूसरी गाडी लाल रंग की ब्रेजा जिसको मै चला रहा था। यह गाडी हमने फरीदाबाद हरियाणा से करीब 08 दिन पहले चोरी की तथा करीब 10-11 दिन पहले एक अल्टो 800 गाडी रंग सफेद हमने रामपुरी सूर्यनगर क्षेत्र से चोरी की थी। जिसको हमने कटवा दिया। इस गाडी की नम्बर प्लेट हमने स्विफ्ट गाड़ी की डिग्गी में रखी है तथा 01 आई-10 हमने एक साथ मिलकर करीब 12 दिन पहले वंसत कुंज दिल्ली से चोरी की थी तथा एक गाडी स्विफ्ट हम तीनो ने जलेसर रोड फिरोजाबाद से चोरी की थी। जिसको हमने काले नाम के कबाडी को 45 हजार रुपये में अलीगढ बेच दिया था। जिससे प्राप्त पैसो को हम तीनो ने आपस मे बाँट लिया था। गिरफ्तार अभियुक्त अनिल उर्फ महाराज पुत्र रामपाल ने पूछने पर बताया कि मेरा साथी अनिल भूषण पुत्र मेहरचन्द चोरी की कार को कौशाम्बी बस अड्डे के पीछे खाली पडे मैदान के पास लेकर आने वाला है मौके पर चलकर चोरी की कार को बरामद करा सकता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. अनिल कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम जवाँ सिकन्दरपुर थाना जवाँ जिला अलीगढ उम्र करीब 36 वर्ष ।
2. अनिल उर्फ महाराज पुत्र रामपाल निवासी मकान न0 104 किराडी ग्राम (प्रेमनगर) सुल्तानपुरी नियर शिव मन्दिर थाना अमन विहार नोर्थ वेस्ट दिल्ली उम्र करीब 39 वर्ष।

3. अनिल भूषण पुत्र मेहरचन्द्र ग्राम गोछी थाना मुजेसर जिला फरीदाबाद, हरियाणा उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 02 खोखा कारतूस, चोरी की 03 कार, कार चोरी करने के उपकरण, 04 गाड़ियों की चाबियां व थाना लिंकरोड से चोरी गई ALTO 800 से संबन्धित कागजात तथा 02 नंबर प्लेट व फर्जी नंबर प्लेट बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद, अलीगढ़, दिल्ली, हरियाणा में वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि से संबंधित 73 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त अनिल उर्फ महाराज पुत्र रामपाल उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ आदि में वाहन चोरी व आर्म्स एक्ट से संबंधित 13 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त अनिल भूषण पुत्र मेहरचन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद व हरियाणा में वाहन चोरी के 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना लिंकरोड व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 06.10.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1.तुषार उर्फ अखिलेश पुत्र सुभाष निवासी ग्राम बुदाना वाल्मीकी बस्ती थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब19 वर्ष 2. देव नागर पुत्र राजेश निवासी ग्राम बुदाना थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 3. हर्ष राठी पुत्र स्व सुनील राठी निवासी कृष्णानगर गली नं0-02 थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद मूल पता ग्राम अबूपुर थाना निवाडी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को फफराना रोड थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से मुरादनगर गाजियाबाद व परतापुर मेरठ से अलग अलग चोरी की गयी 02 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर धारा 317(2)/317(4)/345(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हमने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 01 मोटरसाइकिल थाना मुरादनगर क्षेत्र से चोरी की थी व दूसरी मोटरसाइकिल थाना परतापुर मेरठ क्षेत्र से चोरी की थी जिन्हें हमने अभी तक छिपा रखा था। आज हम इन मोटरसाइकिलों को बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.तुषार उर्फ अखिलेश पुत्र सुभाष निवासी ग्राम बुदाना वाल्मीकी बस्ती थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब19 वर्ष

2. देव नागर पुत्र राजेश निवासी ग्राम बुदाना थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

3. हर्ष राठी पुत्र स्व सुनील राठी निवासी कृष्णानगर गली नं0-02 थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद मूल पता ग्राम अबूपुर थाना निवाडी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

वांछित अभियुक्तों का नाम व पता–

1.आयुष पुत्र रविन्द्र ग्राम अबूपूर थाना निवाडी गाजियाबाद।

2.तुषार उर्फ जहरी पुत्र विजय निवासी महमूदपुर थाना हाफिजपुर जनपद हापुड

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से मुरादनगर गाजियाबाद व परतापुर मेरठ से अलग अलग चोरी की गयी 02 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

- अभियुक्त तुषार उर्फ अखिलेश के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त चोरी के वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। थाना मुरादनगर व थाना परतापुर मेरठ में वाहन चोरी का 01-01 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग-04)**।
- अभियुक्त देव नागर के विरूद्ध थाना मोदीनगर पर उक्त चोरी के वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। थाना मुरादनगर व थाना परतापुर मेरठ में वाहन चोरी का 01-01 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग-03)।**
- अभियुक्त हर्ष राठी के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उक्त चोरी के वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। थाना मुरादनगर व थाना परतापुर मेरठ में वाहन चोरी का 01-01 अभियोग पंजीकृत है।

  (कुल अभियोग-03)। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई सजा।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में नवगठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक वरिष्ठ उ०नि० श्री अशोक कुमार थाना सिहानीगेट द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीमति ममता गौतम द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 302/307/34 भादवि में अभियुक्त 1. पप्पू उर्फ मनीष पण्डित पुत्र स्व० नवरंग पण्डित निवासी 227 राम नगर थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद 2. मनोज कुमार उर्फ फौजी पुत्र धर्मपाल यादव निवासी ग्राम निठोरा थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-12 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 06.10.2025 को प्रत्येक अभियुक्त को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये

के अर्थदण्ड एवं धारा 307 भादवि व धारा 25 आर्म्स एक्ट में 07-07 वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दिनांक 14.11.2004 को अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी के भाई की गोली मारकर हत्या कर देने व वादी के भतीजे को घायल कर देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना सिहानीगेट पर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।